GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1546
TO BE ANSWERED ON 01.07. 2019

Drop-out Rate in Schools

1546. SHRI P.C. MOHAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE be pleased to state:

(a) whether it is true that more than 70,000 students had dropped out of school during 2018-19 academic session;

(b) if so, the details thereof;

(c) the measures taken by the Government to prevent school drop-outs under "Sarva Shiksha Abhiyan";

(d) whether the Government has issued guidelines to the States to ensure education for all; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a) to (b): Unified District Information System for Education (U-DISE) collects information from all the schools (government, aided and private) annually on various educational indicators and is used to calculate drop-out rate across all States and UTs. As per U-DISE 2017-18 (provisional), the annual average dropout rate is 3.5% and 5% at primary level and upper primary level respectively. As per U-DISE 2016-17, the annual average dropout rate was 6.35% and 5.67% at primary level and upper primary level respectively.

(c) to (e): The Right of Children to Free and Compulsory Education Act came into effect from 1st April 2010. The Act makes elementary education a fundamental right of all children in the age group of 6-14 years. Further, the Department of School Education and Literacy has launched an Integrated Scheme for School Education w.e.f. 2018-19 - Samagra Shiksha which subsumes the three erstwhile Centrally Sponsored Schemes of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE).

Samagra Shiksha envisages school education as a continuum from pre-school to senior secondary level and aims to ensure inclusive and equitable quality education for all. Under this scheme, financial assistance is provided to States/UTs for undertaking various activities to reduce number of out of school children including opening/upgradation of new schools upto senior secondary level, construction of school buildings & additional classrooms, setting up and running of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV), setting up of residential schools/hostels, free uniforms, free text books and undertaking enrolment & retention drives. Further, special training for age appropriate admission of out of school children and residential as well as non-residential training for older children, Seasonal hostels / residential camps, Special Training Centres at worksites, Transport/ Escort Facility are also supported to bring out of school children to the formal schooling system. Also, mid-day meal is provided to students at the elementary level of education.

Further, under the student oriented component for the children with special needs, financial assistance is provided for identification and assessment of children with special needs, aids and appliances, braille kits and books, appropriate teaching learning material, transport and escort facility and stipend to girls students with disability etc.

****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: **1546**

उत्तर देने की तारीख: 27.06.2019

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाइज) वार्षिक रूप से सभी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में सभी स्कूलों से विभिन्न शैक्षिक संकेतकों पर सूचना एकत्र करती है जिससे ड्रॉपआउट दर की गणना की जाती है। यू-डाइज 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार, प्राइमरी स्तर पर वार्षिक औसत ड्रॉपआउट दर 3.5% है जबकि उच्च प्राइमरी स्तर पर यह 5% है।

नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। यह अधिनियम प्राथमिक शिक्षा को 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाता है।

भारत सरकार द्वारा पूर्व की सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को समेकित कर 2018-19 से स्कूल शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की गई है।

वर्ष 2018-के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समग्र शिक्षा नामक 19 - जिसमें तीन पूर्व केंद्र प्रायोजित योजनाओं ,एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना शुरू की है सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षा (आरएमएसए) पूर्व से वरिष्ठ माध्यमिक -का विलय किया गया है। नई योजना में स्कूल शिक्षा को स्कूल (टीई) स्तर तक सातत्य के रूप में परिकल्पित किया गया है तथा इसका लक्ष्य सभी के लिए समावेशी तथा समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलनेकक्षों के -स्कूलों एवं अतिरिक्त शिक्षण ,उनके सुदृढ़ीकरण/

आवासीय ,खोलने तथा उनके स्तरोन्नयन (केजीबीवी)कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ,निर्माण पुस्तकों के -निःशुल्क पाठ्य ,निःशुल्क वर्दियों ,परिवहन सुविधाओं ,छात्रावास स्थापित करने/स्कूल प्रावधान और नामांकन एवं रिटेंशन अभियान चलाने सहित स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या संघ राज्य क्षेत्रों को/को कम करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों के आयोजन हेतु राज्योंवित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्तस्कल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूली , शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों के उनकी आयु के मुताबिक दाखिले के म ,आवासीय प्रशिक्षण-लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय तथा गैरौसमी छात्रावासएस्कॉर्ट सुविधा के /परिवहन ,कार्य स्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों ,आवासीय शिविर/ शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को मध्याह्न ,िए भी सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही भोजन प्रदान किया

विशेष जरूरत वाले बच्चों के लि ,जाता है। इसके अतिरिक्तए छात्र उन्मुखी घटक के अंतर्गतब्रेल ,सहायत यंत्रों एवं उपकरणों ,विशेष जरूरत वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन , परिवहन और ,दिव्यांग छात्राओं को वजीफे ,अधिगम सामग्री-उपयुक्त शिक्षण ,किट और पुस्तकों एस्कॉर्ट सुविधा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।